



नगर निगम रोहतक



ZTO Hindi

शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार
की नोटिफिकेशन नं० 14/5/2017-3C II
दिनांक 29.05.2018 के संदर्भ में सूचित किया जाता
है कि वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक के बकाया
प्रोपर्टी टैक्स पर दिनांक 30.06.2017 तक पूर्ण जमा
करवाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा व वर्ष
2018-19 का सम्पत्तिकर जमा करवाने पर 10%
की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके
अतिरिक्त कैशलेस के माध्यम से प्रोपर्टी टैक्स
जमा करवाने पर 1% की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त
कर सकते हैं।

7
799-29/5
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी,
नगर निगम, रोहतक।